(5)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क0 /16 निगरानी निग-3749-I-16

1. नंदलाल पुत्र गुंचे बुनकर आयु 55 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम जटउआ/ उत्तमपुरा तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0 प्र0।

2. विहारी लाल पुत्र गुंचे बुनकर आयु 50 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम जटउआ/ उत्तमपुरा तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0 प्र0।

दिनांक 27-10-16 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी वकील द्वारा प्रस्तुत।
27-10-16

27/10/16

397
27-10-16

आवेदकगण..........

विरूद्ध

म0 प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़।

अनावेदक............

न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क0 ○ /स्व. निग./2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.3.16 के विरूद्ध निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू. रा. संहिता।

माननीय न्यायालय सविनय निगरानी आवेदन आवेदकगण की ओर से सादर प्रस्तुत है

1. आवदेकगण ग्राम जटउआ खास की भूमि सर्वे क0 359 रक्वा 0.061 एवं सर्वे क. 360 रक्वा 0.142 है0 एवं सर्वे क. 1031 रक्वा 1.757 है0 कुल किता 3 कुल रक्वा 1.960 है0 आवेदकगण के स्वामित्व व अधिपत्य के है। उक्त भूमि संबत् 2015 में आवेदकगण के ताउ मुल्ला/मुल्ले के स्वामित्व व अधिपत्य की थी व उनकी मृत्यु पश्चात् उनकी पत्नि राजरानी के स्वामित्व व अधिपत्य की थी तथा वसीयत से आवेदकगण को प्राप्त हुयी। तदानुसार पंजी क0 102 के द्वारा मुल्ला के स्थान पर आवेदकगण का नाम अंकित किया गया। जिसका

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3749-एक/2016 जिला टीकमगढ़ नंदलाल विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 5/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-03-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

25/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य